न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–43/2010–11
रजनी महतो बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
05/06/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका रजनी महतो, पति–विजय भूषण महतो, सा0–सुपौल बाजार, थाना–बिरौल, जिला–दरभंगा की ओर से आँगनवाड़ी केन्द्र सुड़ी टोला केन्द्र सं0–229 ग्राम पंचायत राज सुपौल के आँगनवाड़ी सेविका चयन मे अनियमितता के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7000/2010 रजनी महतो बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–02.08.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय में दिनांक–16.08.10 को वाद आवेदन दाखिल किया गया। आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल से ग्राम पंचायत सुपौल अन्तर्गत सुड़ी टोला आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–229 के आँगनवाड़ी सेविका / सहायिका चयन से संबंधित अभिलेख एवं अन्य कागजात की माँग की गयी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–560 दिनांक–11.12.14 से आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका चयन से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका द्वारा ग्राम पंचायत सुपौल अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्र सुड़ी टोला केन्द्र संख्या–229 की सेविका चयन हेतु विधिवत आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त पोषक क्षेत्र की कुल जनसंख्या–1032 है, जिसमें सुड़ी जाति की जनसंख्या–441 है, जो बहुसंख्यक है। आँगनवाड़ी सेविका चयन मार्गदर्शिका में बाहुल्य वर्ग की महिला को सेविका पद पर चयन किया जाना है। आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका मार्गदर्शिकानुसार बाहुल्य वर्ग (जाति) की प्राथमिकता के आधार पर सेविका का चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। आवेदिका के विद्वान का कथन है कि उक्त पोषक क्षेत्र में सुड़ी जाति संख्या अधिक रहने के कारण बाहुल्य जाति से आवेदिका आने के कारण उनका चयन नही कर मुन्नी देवी पति प्रदीप पोद्दार का चयन किया गया। उक्त चयन पूर्णतः अवैध एवं मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के विपरित किये जाने के कारण चयनित सेविका का चयन को रद्द करते हुए आवेदिका को सेविका पद पर चयन करने का अनुरोध करते है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ग्राम पंचायत सुपौल स्थित आँगनवाड़ी केन्द्र सुड़ी टोला केन्द्र संख्या–229 के सेविका चयन के संबंध में बताया गया कि श्रीमती रजनी महतो (आवेदिका) की आपत्ति है कि	